न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 28/2016

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
हेमाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नेहरों का तला (नोखडा) तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर		1. भूराराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नेहरों का तला (नोखडा) तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.07.2014 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.12.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा नम्बर 389, 390/3, 390/4 व 391 रकबा क्रमशः 00–06, 30–01, 25–16 व 00–16 बीघा कुल रकबा 56–19 बीघा के खातेदारान हेमा, भूरा पि0 मोडा कौम जाट सा0 देह ने दिनांक 26.06.2004 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रार्थ[illegible]स्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अ[illegible] से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का [illegible]वेदन किया। पक्षक[illegible]की पहचान पटवारी नोखडा द्वारा की गई त[illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की [illegible]कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार ग्राम नेहरों का तला के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

खसरा नम्बर 389, 390/3, 390/4 व 391 कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2014 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.01.2015 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी वाकयाति, तथ्यों एवं कानूनी भूल की है। तहसीलदार गुडामालानी ने केवल हलका पटवारी की ओर से तैयार एक तरफा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की गैर मौजूदगी में बिना जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हलका पटवारी ने अपीलांट के हस्ताक्षर कागजात पर अवश्य करवाये किन्तु अपीलांट के रूबरू विभाजन नक्शा व विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार हलका पटवारी ने अपीलांट के साथ छल-कपट कर उसके साथ विश्वासघात किया है। अपीलांट की रहवासी ढाणी 390/4 रकबा 25-16 बीघा में बनी हुई है व इस खसरे में दोनों भाइयों के आपसी बंटवाडे अनुसार 13-02 बीघा अपीलांट के हिस्से में व 12-14 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में दी गई थी तथा मौके पर इसी अनुसार कब्जा-काश्त चला आ रहा है, परन्तु इस तथाकथित बंटवाडे में हलका पटवारी ने अपीलांट के हिस्से में 9-07 बीघा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में आधे से अधिक 16-09 बीघा दी गई है। इससे रेस्पोडेंट की भूमि का बंटवाडा करने पर खेत का सेढा अपीलांट की रहवासीय ढाणी के मध्य आंगन में आ जाता है जिससे अपीलांट को अपनी ढाणी छोड़नी पड़ेगी। अपीलांट को इस से अपार आर्थिक व मानसिक नुकसान हो रहा है। हलका पटवारी द्वारा अपीलांट के साथ मिलीभगत कर गलत तरीके से तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा-काश्त व सहमति के बंटवाडें के अनुसार नहीं कराया गया है। इस आधार पर उपर्युक्त विभाजन पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट अब तक यह समझता रहा कि पुराने कब्जा–काश्त अनुसार ही हलका पटवारी द्वारा बंटवाडा कराया होगा, किन्तु अपीलांट जब सियालु फसल की बाड़ पुराने कब्जे अनुसार करने लगा तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आकर रोकने का प्रयास किया। जब अपीलांट नहीं रुका तो अरसा 10 दिन पूर्व रेस्पोडेंट ने पुलिस लाकर रूकवाया तथा बताया कि उक्त जमीन मेरे हिस्से में आई हुई है। इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय गुडामालानी में जाकर दिनांक 26.12.2014 को नकल मांगी जो दिनांक 30.12.2014 को मिलने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर ज्ञान होने की तारीख से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर मैरिट पर उचित आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट द्वारा आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु हलका पटवारी से सम्पर्क कर मौका कब्जा–काश्त एवं बाहमी बंटवाडा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया। हलका पटवारी द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान भी हलका पटवारी द्वारा ही दी गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की स्वतंत्र सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का अपीलाधीन आदेश परित किया गया है। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा उसकी सहमति पर ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। ऐसे में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा नम्बर 389, 390 / 3, 390 / 4 व 391 रकबा क्रमशः 00–06, 30–01, 25–16 व 00–16 बीघा कुल रकबा 56–19 बीघा के खातेदारान हेमा, भूरा पि0 मोडा कौम जाट सा0 देह ने दिनांक [illegible].06.2004 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र [illegible] विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से [illegible] वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी नोखडा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार ग्राम नेहरों का तला के खेत खसरा नम्बर 389, 390 / 3,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

390/4 व 391 कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2014 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा इस अपील के मुख्य बिन्दु में प्रकट किया है कि अपीलांट की रहवासी ढाणी 390/4 रकबा 25–16 बीघा में बनी हुई है व इस खसरे में दोनों भाइयों के आपसी बंटवाडे अनुसार 13–02 बीघा अपीलांट के हिस्से में व 12–14 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में दी गई थी तथा मौके पर इसी अनुसार कब्जा–काश्त चला आ रहा है, परन्तु इस तथाकथित बंटवाडे में हलका पटवारी ने अपीलांट के हिस्से में 9–07 बीघा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में आधे से अधिक 16–09 बीघा दी गई है। इससे रेस्पोडेंट की भूमि का बंटवाडा करने पर खेत का सेढा अपीलांट की रहवासीय ढाणी के मध्य आंगन में आ जाता है तथा अपीलांट को अपनी ढाणी छोड़नी पड़ेगी। अपीलांट को इस से अपार आर्थिक एवं मानसिक नुकसान हो रहा है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें उल्लेख किया है कि *"विभाजन मौका कब्जा अनुसार बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड एवं धारा 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन किया गया था। वर्तमान में डामर सड़क पर दोनों के पास जमीन बराबर है और वादी की ढाणी प्रतिवादी के खेत में नहीं आ रही है।"* इस प्रकार तहसीलदार गुडामालानी की मौका कब्जा रिपोर्ट से अधिवक्ता अपीलांट के अभिकथन की पुष्टि नहीं होती है। मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का कब्जा प्रतिवादी के हिस्से में आई हुई भूमि में नहीं है। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान की आपसी सहमति से हुआ है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में कोई ठोस आधार नहीं होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर